न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या– 15 / 2024

1. पोखरराम पुत्र देवा राम जाट
2. भैरूराम पुत्र देवा राम जाट
3. बाबूलाल पुत्र देवा राम जाट
4. रामलाल पुत्र देवा राम जाट
5. मंगलचन्द पुत्र देवा राम जाट
6. गलकू देवी पत्नी नाथूराम जाट
7. गुलाब देवी पत्नी रामावतार जाट
8. धन्नी देवी पत्नी कालूराम जाट
9. मन्नी देवी पत्नी सीताराम जाट
10. मुकेश कुमार बुरी दत्तक पुत्र भैरूराम जाट

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दतावता तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील कार्यालय आमेर जिला जयपुर।

– – – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् नक्शा तरमीम दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 03/2/2025

प्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया था, जो क्षेत्राधिकार परिवर्तित होकर न्यायालय-हाज़ा को विधिपूर्वक निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ है। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम दतावता, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के खाता सं0 नया 13 पुराना 12 के हाल खसरा नम्बर 143 / 174, 145 / 175, 151, 152, 154, 154 / 239, 159 / 211, 160 / 212, 40, 41, 42 कुल किता 11 कुल रकबा 10.760 है0 स्थित है। उक्त आराजी में से केवल मात्र ख0नं0 151, 152, 154, 154 / 239 आराजीयात को ही आगे के मदात में मुतदाविया आराजीयात से संबोधित किया जावेगा।

उपरोक्त मुतदाविया आराजीयात के साबिक व हाल खसरा नम्बर निम्नानुसार है–

हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टे0)	साबिक ख0नं0	क्षेत्रफल (हैक्टे0)
151	1.00	82	1.00
152	0.01	83	0.01
154	3.38	82, 83	1.00, 2.38
154 / 239	0.17	83	0.17

उपखण्ड अधिकारी

उपरोक्त हाल आराजीयात के साबिक ख0नं0 राजस्व भू अभिलेखों 83, 83 थे। जिनका साबिक नक्शा ट्रेस सही रूप से जमाबंदी में रकबे अनुसार मौके पर काबिज अनुसार तरमीम हो रखी थी जो सही एवं दुरूस्त थी। दौराने भू प्रबंध कार्यवाही एवं अभी कुछ समय पूर्व दौराने नक्शा ट्रेस तरमीम शुद्धि अथवा सेग्रिकेगेशन के समय उपरोक्त साबिक ख0नं0 के नये ख0नं0 तकमील करते समय तथा नवीन नक्शा तरमीम करते समय विधि अनुसार तरमीम दर्ज नही कर, मौके कब्जे के विपरीत वर्तमान राजस्व भू अभिलेखों में अवैध तरमीम कर दी गयी। हाल ख0नं0 151, 152, 154, 154/239 के उपर नीचे स्पर्श करते हुये हाल ख0नं0 151/193, 154/192 को प्रार्थीगण के कब्जे वाले राजस्व नक्शा ट्रेस में अवैध तरमीम की गई। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण उपरोक्त हाल आराजी ख0नं0 को राजस्व नक्शे में कम करते हुये अवैध तरमीम की गई। जो कि पूर्णत प्रारम्भ से ही शुन्य होकर काबिले दुरूस्तनीय है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 निम्न प्रकार है– maintenance of map and field book-after the suvey and record operation aer over the mape and the field book shall be maintained by the land recorded officer, in accordance with the rules made by the state government in that behalf and he shall cause annyally or at such longer intervals as the state government may prescribe to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

प्रार्थीगण अपने काबिज पैतृक कब्जे काश्तशुदा आराजीयात के मौके पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा साबिक नक्शे के विपरीत हाल नजरी नक्शा ट्रेस में हुई क्षेत्राधिकार विहिन त्रुटि की जानकारी मिन प्रार्थीगण को कभी नहीं रही क्योकि मौके पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही अपनी मुतदाविया आराजीयात पर काबिज काश्त होकर पूर्णत हाल आबाद थे। दिनांक 01.11.2021 एवं 03.11.2021 को प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त कर पटवारी हल्का को अपने साबिक व हाल राजस्व अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करी तो पटवारी हल्का ने साबिक एवं हाल राजस्व भू अभिलेखों में हुई गलत तरमीम को जानकारी प्रदत्त की गई।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मय साबिक व हाल नक्शा ट्रेस संलग्न कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम दतावता तहसील आमेर हाल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित नया खाता सं0 13 व पुराना 12 में स्थित हाल आराजी ख0नं0 151, 152, 154, 154/239 की हाल नक्शे में वर्तमान तरमीम हजफ फरमाई जाकर साबिक ख0नं0 82 व 83 के मौके पर कब्जानुसार एवं पूर्व राजस्व भू अभिलेख नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार नवीन तरमीम किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे इस अमर की तहरीर तहसीलदार जी महोदय आमेर जिला जयपुर को भिजवाई जाने की कृपा करे। अन्य

रूपखण्ड अधिकारी

दादरसी बजनदीक अदालत वाला मुफिद प्रार्थीगण हो ओर अता फरमाई जावें।

उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। तहसीलदार रामपुरा डाबडी से नवीन वस्तुस्थिति हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार रामपुरा डाबडी के क्रमांक/भू.अ./2024/3315 दिनांक 30.09.2024 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई। पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम दतावता के आराजी ख0नं0 151/1.00, 152/0.01, 154/3.38, 154/239/0.17 कुल किता 4 रकबा 4.56 हैक्टे0 से संबंधित है। जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में पोखरराम, बाबूलाल, मंगलचन्द, रामलाल वर्ग0 पिता देवाराम जाट के नाम दर्ज है। उक्त ख0नं0 पूर्व में मिलान क्षेत्रफल के अनुसार क्रमशः 82/2.00, 83/2.56 से बने है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीयान के ख0नं0 क्रमशः उत्तर दिशा में 149/187 रकबा 0.42 हैक्टे0 राजस्व रिकॉर्ड में बिरदीचन्द रामलाल पिता कानाराम यशपाल वगै0 पिता रामनारायण जाति जाट के नाम दर्ज है। व 151/193/0.36, 154/192/0.18 है0 व आराजी ख0नं0 150/229 रकबा 0.12 है0 बलदेव, बाबूलाल, बालूराम, रामपाल, शैतान वगै0 पिता हनुमान जाति जाट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीयान द्वारा अनुतोष हेतु चाहे गये ख0नं0 का निष्कर्ष यह है कि प्रार्थी के आराजी ख0नं0 151/1.00, 152/0.01, 154/3.38, 54/239/0.17 किता 4 रकबा 4.56 है0 राजस्व रिकॉर्ड का नक्शे में तुलना करने पर कुल रकबा 4.38 है0 आता है जो कि जमाबंदी रकबे से 0.18 है0 कम है। इसी प्रकार अनुतोष चाहे गये खसरा नम्बरों में से 151/193/0.36 है0 राजस्व नक्शे में 0.3999 है0 है। ख0नं0 149/187/0.42 है0 राजस्व नक्शे में 0.47 है0, ख0नं0 150/229/0.12 है0 राजस्व नक्शे में 0.18 है0 है। व ख0नं0 154/192/0.18 है0 है। जबकि राजस्व नक्शे में 0.15 हैक्टे0 है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि ख0नं0 151/193/0.36 राजस्व नक्शे में 0.3999 है0 है। जिसमें 0.3999 है0 भूमि ख0नं0 151/1.00 में शामिल किया जाना उचित होगा।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात् तथा तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.06.2024 का अवलोकन किया तथा बहस व सुसंगत न्यायिक प्रावधानों का मनन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 151/193/0.36 राजस्व नक्शे में 0.3999 है0 है। जिसमें 0.3999 है0 भूमि ख0नं0 151/1.00 में शामिल किया जाता है तो राजस्व नक्शे का रकबा जमाबंदी अनुसार पूर्ण हो जावेगा। तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र दुरुस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामपुरा डाबडी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम दतावता, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित नया खाता सं0 13 व पुराना 12 में

अधिकारी

स्थित हाल आराजी ख0नं0 151, 152, 154, 154/239 की हाल नक्शे में वर्तमान तरमीम हजफ फरमाई जाकर साबिक ख0नं0 82 व 83 के मौके पर कब्जानुसार एवं पूर्व राजस्व भू अभिलेख नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार नवीन तरमीम दर्ज की जाती है। (उक्त नक्शा/रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा) तहसीलदार रामपुरा डाबडी को आदेशित किया जाता है कि संलग्न पुरानी नक्शा शीट के अनुसार नियमानुसार तरमीम कर नक्शा संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार रामपुरा डाबडी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी,
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
रामपुराडाबडी जिला- जयपुर